SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, I will ftnd out about the particular case and let the honourable Member know about it, about what the latest position is. In order to meet all thes© situations, which somehow add up to something unsatisfactory in the relations between the two countries, we have proposed this, and in principle there has been an acceptance from the other side. We hope that i* this protocol goes through, then all these questions will be solved to a large extent.

SHRIMATI RAJINDER KAUR; I wrote a letter. But he did not even acknowledge it. *(Interruptions)*

SHRI DHARAM CHANDER: I want to ask the hon. Minister whether there are prisoners in Pakistan who have completed their term of punishment for the last three years and they are still rotting in jails. If so, what steps are being taken in this regard?

MR. CHAIRMAN; Same thing. *3$* "PT ^t I Round and round the mulberry bush. *{Interruptions)*

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I would request the hon. Member to give me the details if he hag them. I will then see what can be done in this regard. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: They do know about the existence of those people. If you have got their names, ages, parents' names, etc., please give them.

Next question.

Uniformity in Maximum Safe Laden weight for the Transportera

*465. SHRI VITHALBHAI MOTI-RAM PATEL: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there *is* no uniformity in maximum safe laden weight for the transporters allowed by the different State Governments;

(b) whether Gujarat Government have requested the Central Government to bring uniformity in this regard; and

(c) if so, what decision the Central Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OE SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI SITARAM KES-RI): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) With a view to bring about uniformity in this regard, the Central Government has made a provision in -the M.V. (Amendment) Bill 1982 to enable them to take over the power to prescribe RLW & SAW on a uniform basis throughout the country. Action will be taken after the Bill is passed by the Parliament.

श्री विट्ठल भाई मोतीराम पटेल : भारत सरकार इसके बारे में कुछ स्टेंडर्ड फिक्स किया था और जो स्टेंडर्ड फिक्स किया है भारत सरकार ने उसका इम्पली-मेंटेशन नहीं हो रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि आपके पास जो कानून है उसमें जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किये हैं हर स्टेट में उनको लागू करने के लिए ऐसी कुछ कोशिश आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ?

श्री सीताराम केसरी : सभापति महोदय, मोटर गाड़ी संशोधन बिल इस सदन द्वारा पास हो चुका है। इस सिल-सिले में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा कि यूनीफार्म पालिसी अडाप्ट की जाए आर. एल. डब्ल्यू., एस. ए. डब्ल्यू. के संबंध में तो उस संबंध में जैसे ही राष्ट्रपति जी के यहां से अनुमति मिलती है शीघ्रातिशीघ्र वह लागू किया जाएगा ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मान्यवर, तमाम हाईवेज पर और दूसरी जगहों पर ट्रक्स के बेशुमार एक्सीडेंट और आघात हो रहे हैं और यह बढ़ रहे हैं दिन-प्रति-दिन । मान्यवर, परसों हम लोग गवर्नर साहब के साथ अजमेर जा रहे थे तो रास्ते में पांच ट्रक उल्टे हुए पड़े थे ।

श्री सभापति : क्वेश्चन में कैसे उल्टे पड़े हुए हैं ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि उसका प्रमुख कारण यह बताया गया कि वे लोग बेशुमार बोझा ढोने की कोशिश करते हैं और बेशुमार रफ्तार से चलाते हैं । माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां ट्रकों को प्रयोग सफल हो ताकि लोग-बाग ज्यादा सेफ्टी से सड़क पर आ-जा सकें क्या इन दोनों बातों का प्रावधान करने की कोशिश करेंगे जिससे रफ्तार और वजन दोनों में एक इस तरह का बेलेंस आ जाए, समन्वय आ जाए ताकि एक्सीडेंट कम हों ।

श्री सीताराम केसरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को उठाया है उन्हीं बातों को मद्देनजर रखकर मोटर गाड़ी संशोधन बिल हमने सदन में लाया और इस सदन में पारित किया गया. . (**व्यवधान**)

श्री भा० दे० खोबरागडे : इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये ।

श्री सीताराम केसरी : मैं आपको इस सिलसिले में बतलाना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वजन को न मान कर अलग-अलग वजन ढोने की अनुमति दी । एक समान रूप से 100 टन पर 25 टन बढ़ाने का अजहाक अरेंजमेंट था परन्तु किन्हीं प्रदेशों में उन्होंने इससे ज्यादा की अनुमति दे दी जिसकी वजह से यूनीफार्मिटी मेनटेन नहीं हो सकी और यह मेरा निवेदन है कि हमने आपके सदन में बिल लाया और बिल पारित हो कर के राष्ट्रपति जी के पास गया है । जहां तक आपके स्पीड के लिमिटेशन की बात है, उसका भी प्रावधान हम सोच रहे हैं । निस्संदेह आपकी दो बातें ठीक हैं कि ट्रकों में अधिक माल लादने की वजह से, उनकी रफ्तार में तेजी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं. और यही वजह है कि जो बिल हमने आपके सामने उपस्थित किया था उसमें प्रावधान किया है कि दुर्घटना में ग्रस्त जिसकी मृत्यु हो जायेगी उसे तत्काल ही हम 15 हजार रुपये मुआवजा देंगे और जो परमानेंट डिसेबुल होगा उसे साढ़े सात हजार रुपये का मुआवजा देंगे । इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रख कर हम वह बिल आपके सामने लाये थे जिसको आपने पारित किया था ।

श्री भा० दे० खोबरागडे : मंत्री महोदय का वजन बहुत बढ़ गया है इस वजह से ट्रकों का वजन बढ़ रहा है क्या आप अपना वेट कम करेंगे ?

श्री जे० के० जैन : सभापति महोदय, ट्रक पर जो ओवर लोडिंग होती है उसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होता बल्कि जो ट्रक का ओनर होता है वह जिम्मेदार होता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि वे सीरियसली दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो क्या ऐसे ट्रक ओनर्स के परमिट को रद्द करेंगे जिनके ओवर लोडिंग की वजह से चालान हुए हैं या वे दुर्घटनाओं में पाये गये हैं और ऐसे ड्राइवरों को पनिश करने की बजाय ट्रक के मालिक को जिसके नाम पर ट्रक है, परमिट

है उसको पनिश करेंगे या उसका परमिट कैन्सिल करेंगे ? क्या ऐसा आप उपाय करेंगे ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, वह तो ड्राइवर को ही ट्रक का जो निर्धारित वजन है उससे ज्यादा उठाने में असमर्थता प्रकट करनी चाहिए और यदि वह अपनी असमर्थता प्रकट नहीं करता है तो ड्राइवर और ओनर दोनों ही इसके दण्ड के लायक होंगे । इस चीज का प्रावधान निश्चित रूप से है... (**व्यवधान**)

श्री जे० के० जैन : परमिट कैन्सिल करने की बात पूछी है ?

श्री सीताराम केसरी : जब तक दोष को साबित नहीं करेंगे कानून में तब तक मैं कैसे कहूं कि परमिट मैं कैन्सिल कर दूंगा ।

श्री जे० के० जैन : वह साबित होने के बाद तो करेंगे ।

श्री सीताराम केसरी : इसमें तो सब हो जाते हैं ।

श्री मनुभाई पटेल : सभापति जी, इसमें माननीय मंत्री जी ने जो बताया तो वह उतना ही मर्यादित सवाल नहीं है । इसमें सिर्फ ड्राइवर और ओनर ही जिम्मेवार हैं ऐसा नहीं है । हाईवे पर जो पुलिस है उनके कोनाईवेंस से भी यह सब होता है । उनकी और इनकी कुछ मिली जुली बेगार है... (**व्यवधान**) रिश्ता है । मुझे तो हिंदी की आदत नहीं है । आज अच्छा चला है हिंदी में इसलिए मैं भी प्रोत्साहित हूं... (**व्यवधान**) हिंदी में अच्छा चला है । तो इनका जो रिश्ता बना हुआ है इसकी वजह से यह सब है । दूसरी बात यह है आपकी रोड साईड पर जो वेइंग मशीन्स होती हैं वे भी काफी नहीं हैं । वेइंग मशीन्स नहीं हैं और इसी वजह से आप अंदाज लगाते हैं कि पोली चीज है और बहुत बड़ी हो तो वजन कम होगा और ठोस हो भरी हुई हो तो ज्यादा होगा, मतलब वह तोलने के लिए, मापने के लिए आपके पास कोई प्रबन्ध नहीं है । तो मैं जानना चाहूंगा कि हाईवे पुलिस की जो कोनाईवेंस है उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हो और वेइंग मशीन्स जो आपके पास काफी मात्रा में नहीं है उनके बारे में क्या करने जा रहे हो ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, हमारी योजना के अन्तर्गत चैक पोस्टस के निर्माण की व्यवस्था हो रही है । दिल्ली के अन्दर भी दो चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत ट्रकों का वजन स्वतः हो जायेगा और वे वेइंग मशीन्स वहां लगी रहेंगी ।

जहां तक हाईवे की सुरक्षा के संबंध में हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो इस संबंध में हमने सभी राज्य सरकारों को आदेश दे रखा है कि 50 किलोमीटर तक जो उनके अन्तर्गत नेशनल हाईवे पड़ता है उसका पुलिस कमिश्नर या उनकी जो पैट्रोलिंग है उसके द्वारा उसकी पैट्रोलिंग करें । जहां तक कोनाईवेंस की बात कही है मैं एक बात कह देना चाहता हूं जो मैंने आपके सदन द्वारा मोटर विहीकल अमेंडमेंट एक्ट पास कराया उसमें यह प्रावधान है कि हम तोषण निधि, जो व्यक्ति किसी भी गाड़ी से हिट एण्ड रन होकर घायल होकर मारा जायेगा उसे पांच हजार तोषण के रूप में देंगे और अगर वह घायल हो जायेगा, परमानेंट डिसेबुल हो जायेगा तो एक हजार रुपये देंगे । उसके बाद (**व्यवधान**) जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको मद्देनजर रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे में या जो हाईवे है उसमें

हिट और रन करके जो जाते हैं उसका प्रावधान इसमें है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of milk

*462. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in "Statesman" dated 28th July, 82 captioning "Bedlam at Milk Booths";

(b) if so, whether Government are aware that similar situation exists in almost all the DMS booths including those in VIP areas; and

(c) if so, what steps are proposed to be taken to stop the bulk selling of bottles to the professional suppliers to enable the real consumers to get the milk?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) At present the bulk of the milk supplied by Delhi Milk Scheme is being marketed through its milk depots on the basis of 'first come first served'. The milk supplied to consumers through home delivery agents is distributed through 63 exclusive home delivery depots.

Out of 1009 depots catering to consumers directly, only in about 146 depots the group system also operates. Out of these only in about 10 booths the milk supply was being made exclusively to groups. Instructions have been issued to effect window sales also, even in these 10 depots.

In order to meet the increased demand of DMS milk and in order to effect equitable distribution, the DMS has also introduced a more intensive system of conducting surprise inspection of booths in addition to the regular inspections. The depot staff have been given strict instructions not to sell milk in bulk and whenever such instances are detected, immediate deterrent action is taken against the depot staff.

The DMS is also keeping a watch on the supply to consumers through home delivery agents.

Delhi Milk Scheme has also stepped up total distribution of milk from about 3.26 lakh litres per day in the month of June, 1982 to about 3.48 lakh litres per day during the month of August, 1932.

Assessment of land reforms

*463. SHRI RAMESHWAR SINGH: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment of progress made in the land reforms after 1980;

(b) if so, when and what are the results thereof; and

(c) what steps have been tajcem by Government to step up the progress of land reforms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): (a) and (b) The progress in the implementation of various land reform measures is reviewed regularly and the attention of the State Governments is drawn to the lacunae either in the law or in its implementation. A state-